बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

!!अधिसूचना!!

3/सी० एस०एम० (मं०नि०)-02/2014 ..../ पटना-15, दिनांक-......., 2014 बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम-2006 की धारा-4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) संशोधन नियमावली-2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

01. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ (1) यह नियमावली बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।

(2) यह नियमावली तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

02. (1) बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) संशोधन नियमावली-2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-5 क में प्रयुक्त अंक '1,000' को अंक एवं शब्द '2,000' (दो हजार) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली-2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) का नियम 6 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"6-आतिथ्य भत्ता । - मुख्य मंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री कार्य भार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित दर पर आतिथ्य भत्ता के हकदार होंगे :-

(क)	मुख्य मंत्री	₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) प्रतिमाह
(ख)	मंत्री	₹ 24,500/- (चौबीस हजार पाँच सौ) प्रतिमाह
(ग)	राज्य मंत्री	₹ 24,000/- (चौबीस हजार) प्रतिमाह
(घ)	उप मंत्री	₹ 23,500/- (तेईस हजार पाँच सौ) प्रतिमाह

"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(अजय कुमार द्विवेदी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 3/सी० एस०एम० (मं०नि०)-02/2014 ..../ पटना-15, दिनांक-.........., 2014

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अजय कुमार द्विवेदी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 3/सी० एस०एम० (मं०नि०)-02/2014 ...319.../ पटना-15, दिनांक-..2/07/..2014

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन/विकास भवन/विश्वेश्वरैया भवन/मंत्रिपरिषद लेखा (पाँच प्रतियों में)/मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/07/14

(अजय कुमार द्विवेदी)
सरकार के विशेष सचिव